

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: अधिसूचना ::-

क./23 /भू-अर्जन/202010050400007 अ 82/2024

कोरबा, दिनांक 01/01/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की बोकरदा जलाशय योजना के माईनर नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन -

1. जिला - कोरबा
2. तहसील - करतला
3. ग्राम/नगर - बोकरदा
4. भूमि का क्षेत्रफल - 1.802 हे.

ख.नं.	रकबा (हे.में)
14/2, 16,3,17/1, 18/2क, 28/5	0.117
5/5	0.028
14/4, 18/2ख	0.008
80/3	0.065
5/8, 18/9, 25/7, 28/10, 30/8, 36/5	0.130
19/1, 21, 25/1, 28/6	0.182
25/5	0.016
24/1	0.008
22/2, 23/2, 25/2	0.194
24/2	0.040
57/2, 58/2, 59/2, 83/9	0.036
23/3, 46	0.174
47	0.016
56/1	0.202
58/3, 61/1	0.161
56/2	0.020
61/4	0.065
56/10	0.069
61/2	0.073
56/11	0.024
57/1, 58/2क, 83/9क	0.036
61/3	0.053
58/1, 59/1, 60, 61/5, 63/5	0.085
योग	1.802

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

**अनुविभागीय अधिकारी (स.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा**

**(कुणास दुदावते)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन**

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

1. सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोरबा को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव छ.ग.की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग.शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. तहसीलदार करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सचिव, ग्राम पंचायत बोरदा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।


(कुणाल दुदा)
कलेक्टर

जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग